(145)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर.

R 1459-II-17

प्रकरण कमांक /2017 निग0

गेल इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) कार्यालय 16, भीकाजी काम्प्लेक्स, आर0के0पुरम्, नई दिल्ली द्वारा उप महाप्रबंधक निर्माण कम्प्रेसर स्टेशन, गेल इण्डिया लिमिटेड, कैलारस जिला मुरैना, म0प्र0
....प्रार्थी

श्री अनुराग बंसल द्वारा आज दि 24.5.17 को प्रस्तुत
24/5/17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

24/5/17 Anurag Bansal

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर मुरैना
...प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 22–3–17 पारित द्वारा श्री आर0बी0 प्रजापति, अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्र0क0 168/16–17 अपील में,

श्रीमान् जी,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, प्रार्थी गेल इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है । प्रार्थी द्वारा गैस कम्प्रेसर स्टेशन का निर्माण किया गया है, जिसके लिये प्रार्थी द्वारा ग्राम रिठोनिया तेहसील कैलारस जिला मुरैना की कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 10–12–2009 को कय की गई । उक्त विकय पत्र से प्रार्थी द्वारा 12.47 हैक्टर (1,24,700 वर्गमीटर) भूमि कय की गई है । उक्त कय की गई संपूर्ण कृषि भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है । कुछ भूमि पर कम्प्रेसर स्टेशन का निर्माण किया गया है । जितनी भूमि पर निर्माण कार्य किया गया है उक्त कार्य का नक्शा रिकार्ड में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1459–दो/2017 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२०–6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 168/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि गेल इण्डिया लिमिटेड जो कि शासन का ही उपकम है उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को अपर आयुक्त ने समयबाधित मानते हुये निरस्त किया है। आवेदक द्वारा विलम्ब का कारण म्याद अधिनियम की धारा 5 में दर्शाया था परन्तु अपर आयुक्त ने 6 माह विलम्ब से मानकर अपील को अग्राह्य करने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त को प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण करना चाहिए था। शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपर आयुक्त के समक्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी इसलिए अपर आयुक्त ने प्रकरण समयबाधित मानते हुये निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण एवं प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी जिसे अपर आयुक्त ने समयबाधित मानकर निरस्त किया है। आवेदक गेल इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार का ही उपकम है। शासन के उपकम द्वारा प्रस्तुत अपील को अपर आयुक्त द्वारा गुण–दोषों पर	

विचार न कर मात्र तकनिकी आधारपर समयबाधित मानते हुये निरस्त किया है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि मामले को गुणा–गुण पर निराकरण किया जाना चाहिए।

2000 आर.एन. 153 हरीसिंह विरूद्ध दुल्ला उच्च न्यायालय "–धारा 5––विलंब की माफी–ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाए तथा अन्य का अहित नहीं हो ।"

"–धारा 5–अधिनियम के उपबंध –उद्देश्य–जिस पक्षकार के पक्ष में विनिश्चय है उसे उसकी अंतिमता का अहसास हो–विलंब की माफी से ऐसी अंतिमता समाप्त हो सकती है।"

1997 आरएन 310 दीपचंद गुजकर विरूद्ध संयुक्त रजिस्ट्रार में न्याय दृष्टांत 1987 (सु कोर्ट) 1353 "धारा 5 विलम्ब माफ किया जाना– विषय के गुणागुण पर सारवान न्याय किया जाना चाहिए– मामला देरी आदि से दाखिल करने पर पक्षकार को कोई फायदा नहीं मिलेगा। विलम्ब की माफी के आवेदन के विनिश्चयन के समय इस सिद्धांत को विचार में लिया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि यदि अपील प्रकरण का अपर आयुक्त को गुणागुण पर सारवान न्याय किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 22–3–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य